हिमाचल प्रदेश चौदहवीं विधान सभा

षष्टम् सत्र

<u>समाचार भाग-1</u>

संख्याः 45

बुधवार, 28 अगस्त, 2024/6 भाद्रपद, 1946(शक्)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

समयः 11.00 बजे (पूर्वाह्न)

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी की अध्यक्षता में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

1. प्रश्नोत्तर

(I) तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्नः 1085, 1462 (स्थगित) के उत्तर पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा संबंधित मंत्रियों द्वारा उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्याः 1730 तथा 1732 के उत्तर पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा संबंधित मंत्रियों द्वारा उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्याः 1733 पर राकेश जम्वाल(प्राधिकृत) द्वारा अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा संबंधित मंत्री द्वारा उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्याः 1731 पर सदस्य की अनुपस्थिति के कारण अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछा गया। तारांकित प्रश्न संख्याः 1734 से 1773 तक के उत्तर संबंधित मंत्रियों द्वारा दिए गए समझे गए।

(II) **अतारांकित प्रश्न**

अतारांकित प्रश्न संख्याः 646, 648 (स्थगित) तथा 771 से 785 तथा तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

तारांकित प्रश्न संख्याः 1733 के उत्तर पर और स्पष्टीकरण लेने की मांग करते हुए विपक्ष के सभी माननीय सदस्यगण अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर शोरगुल करने लगे।

माननीय अध्यक्ष ने विपक्ष को शांत करते हुए सुझाव दिया कि अपनी शंकाओं का समाधान वे किसी अन्य नियम के तहत चर्चा उठाकर कर सकते हैं।

व्यवस्था का प्रश्न

माननीय सदस्य श्री बिक्रम सिंह ने विषय उठाया कि माननीय सदस्यों द्वारा पूछे गए कई प्रश्नों के उत्तर बहुत बड़े होने के कारण उन्हें कंप्यूटर से समझना मुश्किल हो जाता है और सदन में उस प्रश्न के उत्तर की कॉपी मांगने के बावजूद भी कॉपी काफी समय तक माननीय सदस्यों को उपलब्ध नहीं हो पाती है।

इस पर अध्यक्ष महोदय ने वस्तुस्थिति से अवगत करवाते हुए बताया कि विधान सभा का वर्तमान सिस्टम पुराना हो चुका है जिसे रिजुविनेट करने की आवश्यकता है। अतः इस मामले को भारत सरकार के समक्ष उठा रहे हैं।

2. कागज़ात सभा पटल पर

(1) **श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री** ने निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखीः-

(i) भारत के संविधान के अनुच्छेद-309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश वन विभाग, कानूनगो, वर्ग-ग (अराजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2024 जोकि अधिसूचना संख्याःएफ0एफ0ई0-ए (बी) 2-9/2022, दिनांक 14.03.2024 को अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 26.03.2024 को प्रकाशित; और

(ii) सूचना का अधिकार, 2005 की धारा 25 की उप-धारा (4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग का 17वाँ वार्षिक प्रतिवेदन, 2021-2022.

(2) **श्री जगत सिंह नेगी, राजस्व मन्त्री** ने निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखीः-

(i) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश उद्यान उपज विपणन एवं विधायन निगम सीमित का 48वाँ वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2021-22 (विलम्ब के कारणों सहित);

(ii) हिमाचल प्रदेश कृषि, बागवानी और वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1986 (1987 का अधिनियम संख्या 4) की धारा 45 (4) के अन्तर्गत डा0 वाई0 एस0 परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी, सोलन का वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 (विलम्ब के कारणों सहित)।

माननीय अध्यक्ष ने माननीय राजस्व मंत्री द्वारा सदन के पटल पर रखी गई डा0 वाई0 एस0 परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी, सोलन के वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 (विलम्ब के कारणों सहित) की प्रति पर टिप्पणी करते हुए कहा कि इस रिपोर्ट को इतने विलम्ब से सदन के पटल पर रखने का कोई औचित्य नहीं है। विश्वविद्यलयों से सभी को बहुत उम्मीदें हैं और जब ये रिपोर्ट्स इतनी लेट ले होंगी तो फिर इनमें क्या सुधार होंगे। **माननीय अध्यक्ष ने** उम्मीद जताई कि भविष्य में सभी रिपोर्ट्स समय पर सदन के पटल पर रखी जाएंगी और इन्हें ले (lay)करने में किसी भी तरह का विलम्ब मान्य नहीं होगा।

इस पर **माननीय राजस्व मंत्री** जी ने विश्वास दिलाया कि भविष्य में इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि रिपोर्ट्स समय पर सदन के पटल पर रखी जाएं।

3. सदन की समितियों के प्रतिवेदन

(1) **श्री नन्द लाल, सभापति, कल्याण समिति** (वर्ष 2024-25) ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखीः-

(i) समिति का 21वाँ मूल प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि प्रदेश में संचालित "दिव्यांग व्यक्तियों/ बच्चों के स्वःरोजगार हेतु चलाई जा रही योजनाओं" की गतिविधियों की संवीक्षा पर आधारित तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से सम्बन्धित है;

(ii) समिति का 22वाँ मूल प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि प्रदेश में संचालित "स्वर्ण जयन्ती आश्रय योजना" की गतिविधियों की संवीक्षा पर आधारित तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से सम्बन्धित है; और

(iii) समिति का 23वाँ मूल प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम (SCDP) द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की संवीक्षा पर आधारित तथा पशुपालन विभाग से सम्बन्धित है।

(2) **श्री भवानी सिंह पठानिया, सभापति, मानव विकास समिति** (वर्ष 2024-25) ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखीः-

(i) समिति का 19वाँ प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है;

(ii) समिति का 20वाँ कार्रवाई प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि समिति का 12वाँ मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2019-20) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित तथा प्रारम्भिक शिक्षा विभाग की गतिविधियों से सम्बन्धित है; और

(iii) समिति का 21वाँ कार्रवाई प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि समिति का तृतीय मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा)

(वर्ष 2018-19) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित तथा युवा सेवाएं एवं खेल विभाग के अन्तर्गत अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं सहबद्ध खेल संस्थान मनाली की गतिविधियों से सम्बन्धित है।

व्यवस्था का प्रश्न

नेता प्रतिपक्ष श्री जय राम ठाकुर ने व्यवस्था के प्रश्न का हवाला देते हुए पिछले कल विपक्ष द्वारा सदन से बहिर्गमन के उपरान्त माननीय मुख्य मंत्री द्वारा विपक्ष के प्रति की गई टिप्पणी कि-नशे के व्यापारियों के संदर्भ में चर्चा को लेकर विपक्ष द्वारा वॉक-आउट किया गया, पर नाराज़गी व्यक्त करते हुए अपनी बात रखी।

इस पर अध्यक्ष महोदय ने कहा कि -

"नेता प्रतिपक्ष श्री जय राम ठाकुर ने कानून-व्यवस्था से संबंधित मामला यहां उठाया है और यह मामला आज की कार्यसूची में सूचीबद्ध है इसलिए माननीय नेता प्रतिपक्ष कानून-व्यवस्था के बारे में चर्चा करते समय सारी बातें यहां रख सकते हैं। Therefore, I don't think there is anything which require to be done at this stage and we will look into this as and when there is Law & Order discussion take place."

4. नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

(1) **श्री केवल सिंह पठानिया, सदस्य** ने **"शाहपुर के हारचक्कियां व लंज में चिकित्सकों की कमी के कारण दो व्यक्तियों की सर्पदंश से आकस्मिक मृत्यु"** की ओर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री का ध्यान आकर्षित किया।"

(12.10 बजे अपराह्न श्री अनिल शर्मा, सभापति पदासीन हुए।)

माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

(12.15 बजे अपराह्न अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।)

माननीय मुख्य मन्त्री ने विषय पर और स्थिति स्पष्ट की।

(2) **श्री सुरेन्द्र शौरी, सदस्य** ने "**सराज वन मण्डल (बंजार) में सुराग शिल्ह जंगल में काटे गए हरे पेड़ों के अवैध कटान**" की ओर मुख्य मन्त्री का ध्यान आकर्षित किया।''

माननीय मुख्य मन्त्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

5. नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्ताव

नियम-130 के अन्तर्गत "**प्रदेश में भारी बरसात/आपदा के कारण जन-मानस, सड़कों, पुलों, घरों, फसलों, सरकारी भवनों, निजी भूमि, पेयजल व सिंचाई योजनाओं को हुए नुकसान बारे यह सदन विचार करे**" पर आगे चर्चा जारी-

निम्नलिखित ने चर्चा में भाग लिया -

1. श्री नन्द लाल

(01.05 बजे अपराह्न सदन की बैठक भोजनावकाश के लिए 02.05 बजे अपराह्न तक स्थगित हुई।)

(भोजनावकाश के उपरान्त 02.05 बजे अपराह्न सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष, श्री कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।)

आगे चर्चा जारी -

2. श्री विनोद कुमार

(02.10 बजे अपराह्न श्री संजय रत्न, सभापति पदासीन हुए।)

पिछले कल नेता प्रतिपक्ष द्वारा चर्चा के दौरान आपदा के समय क्षतिग्रस्त हुए मकानों, दुकानों व गौशालाओं का जिक्र करने के उपरान्त माननीय राजस्व मंत्री द्वारा दिए गए आंकड़ों पर आज पुनः शुद्धिकरण बारे स्पष्टीकरण दिया गया।

3. श्री मोहन लाल ब्राक्टा, मुख्य संसदीय सचिव
4. श्री अनिल शर्मा
5. श्री राम कुमार, मुख्य संसदीय सचिव
6. श्री रणधीर शर्मा
7. श्री कुलदीप सिंह राठौर
8. श्री बलबीर सिंह वर्मा

9. श्री विनोद सुल्तानपुरी
10. श्री दलीप सिंह
11. श्री संजय अवस्थी, मुख्य संसदीय सचिव
12. श्री प्रकाश राणा

(**4.40 बजे अपराह्न अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।**)

13. श्री हरदीप सिंह बावा

नियम-130 के अन्तर्गत जारी चर्चा को दिनांक 30 अगस्त, 2024 तक के लिए स्थगित किया गया।

05.00 बजे अपराह्न सदन की बैठक वीरवार, 29 अगस्त, 2024 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित हुई।